ई–मेल

पत्रांक–14/डी0एल0ए0 (स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन) अभिलेख–01/2023 1237 /रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः– 8-9-23

विषयः– **पूर्व के वर्षों में किये गये भू–अर्जन की कार्रवाई से संबंधित अभिलेखों/संचिकाओं एवं अन्य पंजियों का स्कैनिंग/डिजिटाइजेशन कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **दिनांक–24.02.2023 को जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही, ज्ञापांक–319/रा0, दिनांक–06.03.2023**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि पूर्व के वर्षो में भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानानुसार की गयी भू–अर्जन की कार्रवाई से संबंधित सभी अभिलेख, संचिकाए एवं अन्य महत्वपूर्ण पंजीयों को जिन्हें जिला अभिलेखागारों में भेज दिया गया है अथवा जिला भू–अर्जन कार्यालय में रक्षित है, के स्कैनिंग/डिजिटाइजेशन कराने हेतु दिनांक–24.02.2023 को आहूत जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों की मासिक समीक्षात्मक बैठक में निदेशित किया गया है। जिसे उक्त बैठक की कार्यवाही के कंडिका–08 में भी लाया गया है।

आप अवगत हैं कि भू–अर्जन की कार्रवाई से संबंधित सभी अभिलेख, संचिकाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनका स्कैनिंग/डिजिटाइजेशन कर संरक्षित किया जाना आवश्यक है। ज्ञातव्य हो कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य अंचल एवं जिला स्तर पर किया जा रहा है।

उक्त के कम में अनुरोध है कि **पुराने भू अर्जन अधिनियम,1894 यथा संशोधित 1984** के तहत किये गये भू अर्जन के कार्यों से संबंधित निम्न कागजातों का कमवार रूप से स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जायः–

1–संबंधित परियोजना हेतु अधियाची विभाग का अधियाचना पत्र।
2–धारा–4 के तहत निर्गत प्रारंभिक अधिसूचना
3–धारा–6 के तहत निर्गत अधिघोषणा
4–धारा–7/17(1) के तहत निर्गत राज्यादेश
5–दर निर्धारण की स्वीकृति संबंधित सक्षम प्राधिकार का आदेश
6–प्राक्कलन एवं पंचाट की स्वीकृति संबंधित सक्षम प्राधिकार का आदेश
7–अधियाची विभाग को सौंपे गये दखल कब्जा संबंधित पत्र

साथ ही उक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य अभिलेख/कागजात जिनका स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कराया जाना आवश्यक हो।

(कृ0पृ0उ0)

भू अर्जन अधिनियम,2013 के तहत किये गये भू अर्जन के कार्यों से संबंधित निम्न कागजातों का कमवार रूप से स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय:–

1–संबंधित परियोजना हेतु अधियाची विभाग का अधियाचना पत्र।

2–धारा–4 के तहत निर्गत एस0आइ0ए0 संबंधित अधिसूचना

3–धारा–10 के तहत निर्गत कृषि संरक्षा संबंधित आदेश

4–धारा–11(1) के तहत निर्गत प्रारंभिक अधिसूचना

5–धारा–16 से 18 में वर्णित प्रावधान के तहत R&R की कार्रवाई

6–धारा–19(1) के तहत निर्गत अधिघोषणा

7–दर निर्धारण की स्वीकृति संबंधित सक्षम प्राधिकार का आदेश

8–प्राक्कलन एवं पंचाट की स्वीकृति संबंधित सक्षम प्राधिकार का आदेश

9–अधियाची विभाग को सौंपे गये दखल कब्जा संबंधित पत्र

साथ ही उक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य अभिलेख/कागजात जिनका स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कराया जाना आवश्यक हो।

वर्णित स्थिति में पुनः अनुरोध है कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अंतर्गत चल रहे राजस्व विभागीय अभिलेखो के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन योजना के तहत जिला भू–अर्जन कार्यालयों में एवं जिला अभिलेखागारों में रक्षित भू–अर्जन की कार्रवाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अभिलेख/संचिका एवं अन्य पंजी इत्यादि का स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य कराने हेतु संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार भूमि अर्जन को अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि भू–अर्जन की कार्रवाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अभिलेख/संचिका एवं अन्य पंजी इत्यादि को संरक्षित किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

(सुशील कुमार)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।